भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1636
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना निधि

1636. श्री तनुज पुनियाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना निधि (एनएआईएफ) के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एनएआईएफ ने नियत लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या एनएआईएफ सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों और अवसंरचना में भी सहायता करती है; और
(ङ) यदि हां, तो देश में किसान समितियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण जुटाने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 3% प्रति वर्ष ब्याज सहायता के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नवसंरक्षण के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। जुलाई 2020 में इस योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 26.01.2026 तक, 1,50,431 परियोजनाओं के लिए 80,224.15 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई है, जिससे 1,27,508 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है। स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 43,324 कस्टम हायरिंग सेंटर, 25,538 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, 17,683 गोदाम, 4,154 छँटाई एवं श्रेणीकरण इकाइयाँ, 2,805 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ, लगभग 56,927 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा किए गए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अनुसार, एआईएफ योजना राज्यों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभरी है। लाभार्थियों ने सूचित किया है कि मशीनीकरण के कारण बेहतर मूल्य प्राप्ति हुई है।

किसान समितियों सहित एआईएफ के तहत सभी लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण और इन समितियों को स्वीकृत राशि का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

किसान समितियों सहित एआईएफ के तहत सभी लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण और इन समितियों को स्वीकृत राशि का विवरण (जुलाई 2020 से दिनांक 26.01.2026 तक)

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या*	लाभान्वित किसान समितियों की संख्या**	किसान समितियों को स्वीकृत ऋण राशि (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	5,812	2381	670.00
2	अरुणाचल प्रदेश	5	-	-
3	असम	685	19	31.00
4	बिहार	2,222	20	6.00
5	चंडीगढ़	6	0	0.00
6	छत्तीसगढ़	3,621	51	19.00
7	दिल्ली	16	0	0.00
8	गोवा	39	3	2.00
9	गुजरात	5,575	165	86.00
10	हरियाणा	9,639	94	75.00
11	हिमाचल प्रदेश	1,013	30	11.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	345	4	2.00
13	झारखंड	637	5	0.38
14	कर्नाटक	4,962	1036	397.00
15	केरल	4,519	323	357.00
16	मध्य प्रदेश	21,123	345	155.00
17	महाराष्ट्र	15,637	955	686.00
18	मणिपुर	4	1	0.22
19	मेघालय	5	-	-
20	नागालैंड	6	1	1.00
21	ओडिशा	4,954	54	7.00
22	पुदुचेरी	11	0	0.00
23	पंजाब	31,897	360	81.00
24	राजस्थान	5,166	243	94.00
25	तमिलनाडु	9,213	5190	462.00
26	तेलंगाना	3,970	527	260.00
27	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	-	-
28	त्रिपुरा	11	1	2.00
29	उत्तर प्रदेश	13,835	1154	255.00
30	उत्तराखंड	703	12	5.00
31	पश्चिम बंगाल	7,982	199	85.00
	कुल	**153614**	**13173**	**3749.60**

***इसमें किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, एपीएमसी, पीपीपी परियोजनाओं को प्रायोजित करने वाले केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय, किसान समितियों सहित राज्य एजेंसियां शामिल हैं।**

****किसान समितियों में एफपीओ, एफपीओ का संघ, एसएचजी संघ, जेएलजी, विपणन सहकारी समिति, पीएसीएस, एसएचजी और राज्य सहकारिता संघ शामिल हैं।**

*****